विचार बिन्दु

महान विचार ही कार्य रूप में परिणत होकर महान कार्य बनते हैं। –विनोबा

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय

1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सात सदस्य पीठ ने 6-1 के बहुमत से आरक्षण से सम्बंधित एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला दिया है। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़कर के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति गवाई, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। इस फैसले में आरक्षण के पूरे विषय को एक नई दिशा दी है एवं वर्षों से चली आ रही आरक्षण के कारण आरक्षित वर्ग में उत्पन्न असंतुलन को सुधारने का एक अवसर दिया है।

अब तक यह माना जाता था कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण एक ऐसा पवित्र विषय है जिसे कोई छूना नहीं चाहता । कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश की सरकार ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण को समाप्त कर दिया था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसे सही माना था, किंतु अनुसूचित जाति, जनजाति के द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन और आंदोलन के परिणाम स्वरुप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रभावहीन करते हुए संसद के माध्यम से एक संविधान संशोधन कर दिया, जिसके द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का प्रावधान कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय

पंजाब सरकार के 2006 के उस आदेश के संबंध में है जिस से सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जातियों में से कुछ जातियों के लिए एक कोटा निर्धारित कर दिया था। इस निर्णय पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे संविधान के विरुद्ध मानते हुए इस पर 2010 में रोक लगा दी थी । पंजाब सरकार द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई जिस पर फरवरी, 2024 में विस्तृत सुनवाई के पश्चात यह निर्णय दिया गया है। इस निर्णय से पंजाब सरकार के अनुसूचित जातियों में से कुछ के लिए विशेष कोटा निर्धारित करने के आदेश को सही करार दिया गया है।

यह आश्चर्यजनक है कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने इस निर्णय के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी और चुप्पी साध ली है। शायद इसके राजनीतिक लाभ हानि का आकलन कर रहे हों । आरक्षण समर्थक विचारकों द्वारा निर्णय का विरोध किया जा रहा है और संविधान के विरुद्ध ठहराया जा रहा है । इससे पहले कि इस निर्णय के गुणवगुण पर विचार करें, इस निर्णय के प्रमुख बिंदुओं पर बात करना उपयुक्त होगा।

वर्ष 2004 में आंध्र सरकार बनाम चिन्नैया के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि एस सी/एस टी में वर्गीकरण संविधान सम्मत नहीं है। तब से अब तक इसी दृष्टिकोण को सही माना जाता रहा है। इस निर्णय के द्वारा अब उच्चतम न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय को बदल दिया है एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उप वर्गीकरण को संविधान सम्मत माना है। उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुमत के निर्णय से स्पष्ट कर दिया है कि सभी अनुसूचित जाति और जनजाति को एक समान नहीं रखा जा सकता एवं इनका वर्गीकरण करना संविधान की भावना के विपरीत नहीं है। पूर्व में 2004 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने चिनाइया बनाम आंध्रप्रदेश सरकार के प्रकरण में यह निर्णय दिया था कि संविधान में जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां दर्ज हैं, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता, एवं यदि ऐसा किया जाता है तो यह संविधान के विरुद्ध होगा । अब सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने इस निर्णय को बदल दिया है एवं यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी एस टी, एस टी जाति एक समान नहीं हैं । इनमें से कुछ जातियां गत वर्षों में मिले आरक्षण के लाभ के कारण सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से अन्य के मुकाबले में अधिक बेहतर स्थिति में आ गई हैं। इसके फल स्वरुप, आरक्षण का अधिकांश लाभ इन्हीं जातियों ने लेना प्रारंभ कर दिया है और अन्य कई जातियों को लगभग नगण्य लाभ मिला है।

न्यायमूर्ति बी आर गवाई ने तो यहां तक कहा कि अनुसूचित / जनजाति में भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए, जैसे ओबीसी के लिए किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन परिवारों की आय अधिक हो गई है एवं जिनकी सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ हो गई है उन्हें, इसी वर्ग की अन्य जातियों के निर्धन व्यक्तियों के बराबर नहीं माना जा सकता। माननीय न्यायाधीशों ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि आरक्षण के कारण अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति आईएएस, आईपीएस या किसी अखिल भारतीय सेवा में आ जाता है एवं उसके बच्चे यदि अच्छे अंग्रेजी माध्यम के प्रतिष्ठित स्कूल में अध्ययन करते हैं तो उनकी तुलना में एस सी/ एस टी वर्ग के उन व्यक्तियों का चयन संभव ही नहीं है जो ग्रामीण इलाकों के सरकारी विद्यालयों में बिना सुविधा के पढ़कर निकलते हैं । अत: उल्लिखित जातियों को उप विभाजित करके गैर क्रीमी लेयर को आरक्षण का विशेष लाभ दिया जाना उपयुक्त होगा । उदाहरण के लिए, जनजातियों में पूर्वी राजस्थान के मीना परिवारों के अनेक सदस्य अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित हुए हैं। जनजाति के लिए आरक्षण का अधिकांश लाभ इन्हीं के हिस्से में आता है, जबकि इनसे कहीं अधिक पिछड़े अनुसूचित जनजाति जैसे गरासिया, भील, सहरिया आदि का प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षण संस्थानों एवं अखिल भारतीय सेवाओं एवं राज्य सेवाओं में लगभग नगण्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी चेतावनी दी है कि उप वर्गीकरण राजनीतिक आधार पर नहीं किया जाए अपितु विभिन्न जातियों की शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त करके, विश्लेषण के पश्चात सोच समझकर निर्णय लिया जाए ।

> **उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और दूरगामी प्रभाव वाला है। अब देखना यह है कि वास्तव में यह फैसला धरातल पर लागू हो पाता है या राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में इसको भी उसी प्रकार बदल दिया जाएगा जैसा पदोन्नति में अनुसूचित जाति / जनजाति के आरक्षण के संबंध में किया गया था।**

यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि 70 वर्षों में आरक्षण का लाभ किसे मिल रहा है और किसे मिलना चाहिए? आरक्षण की समीक्षा के बारे में संविधान में भी प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष में आरक्षण की समीक्षा की जाएगी ताकि उसे अधिक विधि सम्मत बनाए जा सके। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं और आरक्षण निरंतर एक ही पद्धति के आधार पर चलता रहा। आर्थिक स्थिति से संपन्न होने के कारण कई एस सी/एस टी के बच्चे शहरों के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं । इनकी तुलना में कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ एक भी बार नहीं मिला एवं वह अन्य की तुलना में कई अधिक पिछड़ते जा रहे हैं।

यह आश्चर्य की बात है कि निर्णय आए दो-तीन दिन हो चुके हैं किंतु अब तक किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल की ओर से कोई प्रतिक्रिया इसके समर्थन या इसके विरोध में नहीं आई है। स्पष्ट है कोई भी दल अनुसूचित जाति और जनजाति की कमजोर जातियों को एवं इनके निर्धन व्यक्तियों को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि चुनाव के समय उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती है ।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सामान्य जन की वर्षों पुरानी इस मांग की पूर्ति करता है कि आरक्षण की समीक्षा विवेकपूर्ण ढंग से निष्पक्षता के साथ की जाए ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में उन व्यक्तियों तक पहुंचे जो अब तक इससे वंचित हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आरक्षण समर्थक कुछ विचारकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। विरोध का एक आधार केवल यह है कि क्रीमी लेयर के व्यक्तियों की पहचान करना संभव नहीं है। हमने हाल ही में देखा है की पूजा खेड़कर के परिवार ने किस प्रकार स्वयं को गैर क्रीमी लेयर का बताते हुए ओबीसी श्रेणी में गलत लाभ लिया था, जबकि उसके पिता की संपत्ति 40 करोड़ रुपए के लगभग थी। जो व्यक्ति व्यवसाय में है, उनकी आय के बारे में आकलन संभव नहीं है। जिस प्रकार स्वयं को गैर क्रीमी लेयर का बताते हुए ओबीसी में लाभ ले लेते हैं, वैसे ही अनुसूचित जाति, जनजाति में भी ग़ैर क्रीमी लेयर का लाभ लिया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश भी दिए हैं कि उपवर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकारों को है । यह अवश्य है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को धरातल पर लागू करना टेढ़ी खीर सिद्ध होगा। प्रत्येक जाति स्वयं को अन्य से पिछड़ा हुआ सिद्ध करने में लगेगी एवं सरकार के लिए स्पष्ट आंकड़ों के भाव में किसी भी जाति को कमजोर मानना सरल नहीं होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी जाति की ओर से सामान्यतया वही व्यक्ति पैरवी करते हैं जो प्रभावशाली पद प्राप्त कर चुके हैं। उन्हीं जातियों के कमजोर एवं पिछड़े लोगों की निर्णय में कोई भागीदारी नहीं है एवं न ही उनकी बात को गंभीरता से सरकार द्वारा सुना जाता है। जैसा किसी भी जाति को उप वर्गीकृत करके आरक्षण में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऊपरी तौर पर कितना ही न्याय संगत और उपयुक्त क्यों ना लगे, इसका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा यह स्पष्ट नहीं है। माननीय न्यायालय ने स्वयं यह कहा है कि बिना वस्तुनिष्ठ आंकड़े इकट्ठे किए और बिना विश्लेषण और विवेचना के उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता ।

भारत में जातिगत जनगणना अंतिम बार 1935 में हुई थी । कुछ वर्षों से जातिगत जनगणना की मांग कई दलों द्वारा की जाती रही है किंतु अब तक इस बारे में एक राय नहीं बन पाई है। इस निर्णय के विरोधियों का यह भी तर्क है कि एस सी/एस टी में उपवर्गीकरण की बात की जाती है तो फिर यही सिद्धांत सामान्य वर्ग पर लागू क्यों नहीं किया जाता? क्या सामान्य वर्ग के लोगों में सभी जातियों को विभिन्न प्रवेश संस्थानों और नौकरियों में प्रतिनिधित्व समान रूप से प्राप्त हो पाया है? यदि नहीं तो फिर उनमें उप वर्गीकरण की बात क्यों नहीं उठाई जाती? एस सी/एस टी के कुछ नेताओं ने इसे दलित और आदिवासियों में फूट डालने वाला निर्णय भी बताया है । निर्णय के विरोधियों का यह तर्क भी है कि एक या दो पीढ़ी के अच्छी नौकरी में आ जाने मात्र से उसकी सामाजिक वंचना समाप्त नहीं हो जाती है। जाति जनजाति का आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है अत: संपन्नता का मापदंड आरक्षण में लागू करना सही नहीं है। उन्हें यह पूछा जाना चाहिए कि जब नौकरियों में आरक्षण के कारण सामाजिक वंचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर इसके लिए आरक्षण को इसका उपाय मानना कहां तक सही है?

भेदभाव केवल सवर्णों और अनुसूचित जातियों/ जनजातियों में ही नहीं होता। एक अनुसूचित जाति के सदस्य ही कई बार अन्य अनुसूचित जातियों के साथ अछूत सा व्यवहार करते हैं । यह तो सही है कि अनुसूचित जातियों में जितनी जातियां सम्मिलित हैं वे सभी सामाजिक और शैक्षिक रूप से समान रूप से वंचित नहीं रहे हैं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के द्वारा उठाई गई जाति गत जनगणना की मांग सही है क्योंकि इसी के आधार पर यह पता चल पाएगा कि किस जाति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में, वर्षों में, कितना सुधार हुआ है ?

उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और दूरगामी प्रभाव वाला है। अब देखना यह है कि वास्तव में यह फैसला धरातल पर लागू हो पाता है या राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में इसको भी उसी प्रकार बदल दिया जाएगा जैसा पदोन्नति में अनुसूचित जाति / जनजाति के आरक्षण के संबंध में किया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की समीक्षा के बारे में बहस तो छेड़ ही दी है। यह तो भविष्य के गर्भ में है कि वास्तव में ऐसा होगा या नहीं?

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

पिछले सालों में नैतिकता का स्थान अनैतिकता ने ले लिया है, जाने इसका दुष्प्रभाव

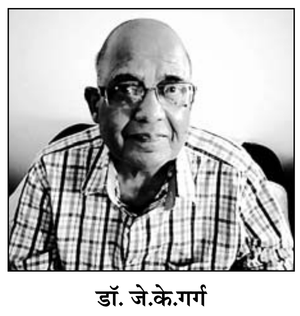

डॉ. जे.के.गर्ग

एक जमाना ऐसा भी था जब देश में जन नेता आम जनता की बात/समस्याओं को ध्यान से सुनते थे किन्तु आज सिर्फ व्यापारिक घरानों की ही बात सुनी जाती है।

एक जमाने में नेताओं का लक्ष्य गरीब से भी गरीब की भलाई के कार्यक्रमों को केंद्र में रख कर नीतियां बनाई जाती थी किन्तु आज तो सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हित साधन के लिये नीतियाँ बनाई जाती है ।

किसी जमाने में नेताओं के चारों तरफ साधारण जनमानस होते थे किन्तु आज के नेताओं के चारों तरफ उनके बन्दूकधारी कमांडों ही रहते हैं।

किसी जमाने में गांधीजी जैसे जन नेताओं के नाम पर कसमे खाई जाती थी किन्तु आज के जमाने में माता आज के नेताओं का नाम लेकर अपने बच्चों को डराया करती हैं ।

कोई समय था जब समाज विरोधी तत्व गुंडे/अपराधियों का घर जेल ही होता था किन्तु आज मता अधिकार प्राप्त नागरिक उन्हें ससम्मान चुनावों में जीत दिला कर लोकसभा/ विधानसभा/ नगर निगम आदि में भेजते हैं ।

किसी जमाने में पंचों को परमेश्वर माना जाता था किन्तु आज पंच/सरपंच न्याय से कोसों दूर रहते हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिये न्याय का खुलेआम कत्ल करते हैं ।

किसी जमाने में सिद्धांतों पर राजनीति की जाती थी, राजनेता जीवन पर्यन्त अपने अपने सिद्धांतों पर अटल रहते थे किन्तु आज तो अपने तुच्छ निजस्वार्थों के खातिर पार्टी बदल सत्ताशीन होने की होड मची है, कल तक वें जिन आदर्श और सिदांत का खुले आम विरोध करते आज वें ही उनका गुणगान कर उनके शरणागत होने में अपनी शान समझते हैं ।

एक समय था जब अख़बारों की निती का निर्धारण अख़बार के संपादक सर्वहित में निस्वार्थ भावना से करते थे, सच्ची, सही खबरें प्रकाशित होती थी किन्तु आज औद्योगिक घराने समाचार पत्रों के सम्पादकों को अपना सेवक बना कर अख़बार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरीयें अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु आधी सच्ची-झूठी खबर देकर जनमानस को भ्रमित कर अपने व्यापारिक स्वार्थ एवं अपने राजनैतिक आकाओं की जी हजुरी के लिये करते हैं। पेड न्यूज़ के जरिये सत्ता प्राप्त की जाती है। फेक न्यूज को फैलाने में मीडीया सेल मुख्य भूमिका निभाते है ।

कोई समय था जब साधारण जनता भी डॉक्टर एवं शिक्षक गुरु का का दिल से आदर और सम्मान करती थी उन्हें अपना आदर्श मानती थी किन्तु आज तो डॉक्टर-गुरु को चाहिए सिर्फ पैसा-पैसा-पैसा ।

एक जमाने में शिक्षक शिक्षा प्रदान करता था और शिष्य शिक्षा ग्रहण करता था किन्तु आज शिक्षक पूर्णता से व्यापारी बन गया है और शिष्य उसके उत्पाद का खरीददार हो गया है ।

एक वक्त जनसंख्या एक बड़ी और विकराल समस्या बन गयी थी किन्तु आज यह एक उभरता बाज़ार बन चुका है ।

एक जमाने में गोल्डन रूल से शासन चला करते थे किन्तु आज अगर आप के पास गोल्ड (सोना) हो तो ही आप शासन कर सकते हैं।

एक जमाने में जीवन मे सफलता का अर्थ था अपने सिद्धांतों एवं आदर्शों पर चल कर जीना किन्तु आज के समय सफलता अर्जन के लिये जरूरी है अपने सिद्धांतों और आदर्शों को तिलांजलि देना उन्हें पूरी तरह से भूल जाना ।

एक जमाने में आदमी अपनी आत्मा के कल्याण हेतु सच कहना, सच सुनना और सच देखना आवश्यक मानता था किन्तु आज सफलता प्राप्त करने/ आगे बढने के लिये इन को तिलांजलि देकर, निजी स्वार्थ के लिये ही झूठ बोलना, झूठ सुनना और झूठ को सच बना कर प्रचार करना जायज बन चुका है ।

एक जमाने में धार्मिक सहिष्णुता हमारी संस्कृति का अभिन्न होता था किन्तु आज तो धार्मिक उन्माद का बोलबाला है।

एक जमाने में सुंदरता आंखों में बसती थी किन्तु आज सुन्दरता को व्यापार एवं धन कमाने की वस्तु बना दिया गया है ।

एक जमाने में सरकार निष्पक्ष/ तर्कसंगत/न्यायसंगत तरीके से काम करती थी, सेक्स के प्रदर्शन को हेय एवं गंदा माना जाता था किन्तु आज के समय इसके बारे में क्या कहा जाये, पता नहीं?

किसी जमाने में नारी का सर्वत्र सम्मान होता था किन्तु आज के वक्त में बलात्कार, अपहरण की घटनायें आम हो गई है, नारी को वास्तव में सुरक्षा एवं सम्मान प्रदान करवाने के स्थान पर इन घटनाओं का राजनीतिकरण कर राजनैतिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जाती है । एक समय मे कहा जाता था कि इतिहास सच का आईना होता वो कभी झूठ नहीं बोलता किन्तु आज के जमाने मे कतिपय चाटुकार अपनी सोच/ भावनाओं के अनुसार इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं ।

एक जमाने मे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा/ प्रतिद्वंद्विता के फलस्वरूप श्रेष्ट गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण होता था किन्तु आज तो तथाकथित प्रतिस्पर्धा/ प्रतिद्वंद्विता की वजह से आदमी-आदमी के बीच ईर्ष्या/कलह उत्पन्न हो रही है, इंसानियत का जज्बा केवल कागजों में रह गया है ।

एक जमाने में हमारी संस्कृति में वाणी की हिंसा को शारीरिक हिंसा से भी बुरा माना जाता था किन्तु आज के उच्चतम पद पर आसीन लोग अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप, दोषारोपण, चरित्र हनन द्वारा जनमानस को भ्रमित कर सत्ता प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं, उनके लिये एन केन प्रकारेन सत्ता प्राप्त करना हीं एक मात्र लक्ष्य होता हैं।

किसी समय में कारीगर/ दस्तकार/शिल्पकार गुणवत्ता वाले उत्पाद का सर्जन कर अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता था किन्तु आज गुणवत्ता मात्र डिपार्टमेंटल वस्तु बन गयी है ।

एक समय माउस को अछूत मैमल (स्तनधारी जीव) समझा जाता था किन्तु आज माउस को खुशी-खुशी हाथ से पकड़ कर उससे काम किया जाता है ।

एक जमाना था जब बुद्धीजीवी, अपनी बुद्धि से लोगों को जागरूक करते थे, किन्तु एक जमाना अब है जब बुद्धि का प्रचार अपनी ब्रांडेड महंगे शर्ट और शर्ट पर खुलेआम हास्यास्पद तरीके से प्रदर्शित किया जाता है । आज गरीब और ज्यादा गरीब बन रहा है अमीर ज्यादा अमीर बन रहा है।

एक समय था जब हंस मोती देते थे और खुद दाना-चुनेगा खाते थे और एक जमाना अब है जब, कौवें मोती खाते हैं। समय-समय का भेद है--समय-समय का नजरिया है--सबको साधुवाद।

समय बड़ा बलवान ।

–डॉ. जे.के गर्ग,
पूर्व संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा जयपुर

साइकिल यात्रा से हरिद्वार से गंगाजल लेकर उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में करेंगे जलाभिषेक

शाहपुरा, (निसं)। सावन मास में साइकिल से यात्रा करने वाले हरियाणा राज्य के करनाल जिले के रवि शर्मा का शाहपुरा पहुंचने पर श्री श्याम मंदिर सेवा समिति के कोषाध्यक्ष राजेश मंडोवरा के नेतृत्व में सचिव अनिल कुमार नरवल के मुख्य अतिथि में श्याम बाबा का दुपट्टा व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष राजेश मंडोवरा व सचिव अनिल कुमार नरवल ने बताया कि रवि शर्मा साइकिल यात्रा से हरिद्वार से गंगाजल लाकर उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक करेंगे। गंगाजल का कलश साइकिल पर बांधकर यात्रा कर रहे है। हरिद्वार से उज्जैन महाकालेश्वर यात्रा 11 दिन में पूरी होगी। साइकिल यात्री रवि शर्मा रोजाना 100 किलोमीटर साइकिल से यात्रा कर रहे है। कोषाध्यक्ष मंडोवरा ने बताया कि इससे पहले साइकिल यात्री रवि शर्मा केदारनाथ, वैष्णो देवी व अयोध्या आदि जगह साइकिल से यात्रा कर चुके है। श्याम मंदिर कमेटी के द्वारा साइकिल यात्री रवि शर्मा को भोजन प्रसादी व रात्रि विश्राम के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई। स्वागत के दौरान मनीष शर्मा, रामजस यादव, मुकेश सेन, भागीरथ योगी, दिनेश सैनी, लक्ष्मी नारायण सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

हरियाणा राज्य के करनाल जिले के रवि शर्मा का शाहपुरा पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया।

■ **रवि शर्मा इससे पूर्व केदारनाथ, वैष्णों देवी व अयोध्या साइकिल यात्रा कर चुके है।**

बीसलपुर बांध में 86 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई

देवली (नि स) उपखंड क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने की वजह से बीसलपुर बांध में सोमवार शाम 8:00 बजे तक 86 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है । सोमवार शाम 8:00 बजे तक बीसलपुर का जलस्तर 311 मीटर को छू गया है। शनिवार तक बीसलपुर बांध का जलस्तर 310, 14 तक स्थिर था यहां शनिवार की देर रात को शुरू हुई बारिश ने सोमवार की सुबह तक देवली उपखंड क्षेत्र को पानी से सराबोर और कर दिया । जानकारी के अनुसार उपखंड क्षेत्र में कल हुई व्यापक वर्षा के फलस्वरूप बीसलपुर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में धुआँकला स्थित मोती सागर बाँध और करीमपुरा स्थित दाखियाँ बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता प्राप्त की और चादर चली। सोमवार को सायँ 6:00 पर मोतीसागर पर 5 इंच और दाखियाँ बांध पर डेढ़ फुट चादर चल रही थी। इधर बीसलपुर परियोजना के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने जानकारी में बताया कि मोतीसागर बाँध की पूर्ण भराव क्षमता 454 और दाखियाँ बाँध की 303 है। ऐसे क्षेत्र के बांधों की स्थिति का जायजा सोमवार को लिया गया इस मौक़े पर बीसलपुर परियोजना के अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सिंह सागर,अधिशाषी अभियंता मनीष बंसल, सहायक अभियंता जगदीश मीना तथा कनिष्ठ अभियंता पूरण बैरवा व साहून दीन ने क्षेत्र के बांधों की भराव क्षमता और स्थिति का भी निरीक्षण किया । वही जानकारी यह भी सामने आई की

उपखंड क्षेत्र के चांदली तालाब की चादर भी चल पड़ी। यहां लोगों ने बताया कि 2 साल बाद चांदली का तालाब गत वर्ष अपनी भराव क्षमता तक नहीं भर पाया था लेकिन इस वर्ष सावन के महीने में तालाब अपनी भारत और क्षमता को पार करते हुए तालाब के ऊपर लगभग 6 से 8 इंच तक की चादर चल पड़ी।

अधीक्षण अभियंता वीरेन्द्र सिंह सागर ने बीसलपुर बांध का जायजा लिया।

राशिफल मंगलवार 6 अगस्त, 2024

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, भद्रा नक्षत्र सायं 5:44 तक, वारियान योग दिन 10:59 तक, बालव करण प्रात: 6:58 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-वृष, बुध-सिंह, गुरू-वृष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज राजयोग सायं 5:44 से आरम्भ होगा। आज चन्द्र दर्शन, उत्तर श्रृंगोन्नति, सिंजारा (तीज का), मंगला गौरी पूजा है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:15 से 10:54 तक, लाभ-अमृत 10:54 से 2:51 तक, शुभ 3:50 से 5:29 तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:58, सूर्यास्त 7:08

मेष
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी।

मिथुन
परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक-सामाजिक कार्य के लिए बाहर जा सकते हैं। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

कर्क
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

सिंह
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

कन्या
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। पारिवारिक कारणों से मानसिक तनाव बना रहेगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा।

तुला
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कुंभ
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन
अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।